निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या /2025

रघुराजसिंह सोलंकी पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडा तहसील सांगोद हाल निवासी दादाबाडी कोटा जिला कोटा। –वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर टी एक्ट

––:: निर्णय ::––

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)
2. पेरोकार सरकार।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

- यह कि वादी के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 597 रकबा 0.82 हैक्टर आराजी वाके ग्राम कोटडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित हैं।

- यह कि वादी की वास्तविक जाति ''राजपूत'' है किन्तु वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति ''धोली'' अंकित है जबकि वादी की जाति ''राजपूत'' है। जबकि अन्य राजकीय दस्तावेजों में प्रार्थी की जाति ''राजपूत'' अंकित है।

- यह कि राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति गलत अंकित होने के कारण वादी को 'प्रधानमन्त्री सम्मान निधि, योजना'' का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त संबंध में गत सप्ताह प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति दुरूस्ती हेतु निवेदन किया किन्तु तहसीलदार साहब ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां दावा प्रस्तुत करने की राय व्यक्त की।

- यह कि वादकारण गत सप्ताह तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति दुरूस्त नहीं करके उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां दावा प्रस्तुत करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

- यह कि भूमिधारी होने से राज्य सरकार को जर्ये तहसीलदार सांगोद वाद में पक्षकार बनाया गया है।

- यह कि विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम कोटडा तहसील सॉगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

- अतः माल ग्राम कोटडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 597 रकबा 0.82 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी की त्रुटिपूर्ण जाति ''धोली'' के स्थान पर वास्तविक जाति ''राजपूत'' अंकित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाब मय पटवारी रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटडा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 4 के खसरा नंबर 597 रकबा 0.82 हैक्टर में से सहखातेदार रघुराज सिंह सोलंकी पुत्र कानसिंह सोलंकी व सुगनसिंह पुत्र कानसिंह सोलंकी की जाति 'धोली' अंकित है। सेटलमेंट जमाबन्दी ग्राम कोटडा संवत् 2058–77 में खसरा नंबर 597 अमरी के नाम दर्ज था जिसमें जाति 'धोला' दर्ज थी। अमरी रघुराजसिंह की माताजी थी। ग्रामवासियों से जानकारी करने पर उन्होने भी रघुराजसिंह पुत्र कानसिंह की जाति 'राजपूत' बताई है।

बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात एवं जवाब सरकार का अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम कोटडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 597 रकबा 0.82 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी की त्रुटिपूर्ण जाति ''धोली'' के स्थान पर वादी की वास्तविक जाति ''राजपूत'' अंकित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 01.04.26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या /2025

रघुराजसिंह सोलंकी पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडा तहसील सांगोद हाल निवासी दादाबाडी कोटा जिला कोटा। –वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर टी एक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम कोटडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 597 रकबा 0.82 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी की त्रुटिपूर्ण जाति ''धोली'' के स्थान पर वादी की वास्तविक जाति ''राजपूत'' अंकित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज ——— मुबलिग ———— बाबत ————— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 01.04.26 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।